भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2718
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

शिक्षा का व्यावसायीकरण

†2718. **श्री सुधीर गुप्ता:**
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण के कारण महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों के बीच मिली भगत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई संसदीय समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक सौंपे जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार का कोचिंग संस्थानों के साथ मिली भगत करके गलत काम करने वाले और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले महाविद्यालयों की मान्यता रद्द करने का विचार है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) में अन्य बातों के साथ-साथ अधिगम हेतु योगात्मक मूल्यांकन, जो प्रचलित 'कोचिंग संस्कृति' को प्रोत्साहित करता है, की बजाय नियमित रचनात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने का अनुबंध किया गया है। इसमें रटकर सीखने और परीक्षा-उन्मुख अध्ययन की तुलना में वैचारिक समझ पर अधिक बल दिया गया है।

एनईपी 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक और निजी स्कूलों का मूल्यांकन और प्रत्यायन समान मानदंडों, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाएगा, तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण व पारदर्शिता पर बल दिया जाएगा। एनईपी 2020 में सभी शैक्षिक संस्थाओं के लिए 'गैर-लाभकारी' इकाई के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों का प्रस्ताव किया गया है। यदि कोई अधिशेष राशि होगी तो उसका शिक्षा क्षेत्र में पुनः निवेश किया जाएगा। इसी प्रकार, उच्च शिक्षा में भी सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं - सार्वजनिक और निजी - को समान दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समान

माना जाएगा। जांच और संतुलन के साथ कई तंत्र उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण का सामना करेंगे और उसे रोकेंगे।

विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जो अपने संबंधित अधिनियमों/संविधि आदि द्वारा संचालित होते हैं। विश्वविद्यालयों के प्रकार के आधार पर शुल्क संरचना के मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। आईआईटी/ आईआईआईटी/ एनआईटी/ आईआईईएसटी/ आईआईएम आदि के संबंध में शुल्क संरचना संबंधित अधिनियमों/संविधि के प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाती है। एआईसीटीई ने अनुदेश जारी किए हैं कि संस्थाएं किसी पाठ्यक्रम में किसी भी सीट पर प्रवेश हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैपिटेशन शुल्क या किसी दान की मांग नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी नाम या रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दान या कैपिटेशन शुल्क लेना सख्त वर्जित है। शुल्क का निर्धारण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, जिसमें गैर-मुनाफाखोरी या गैर-व्यावसायिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

अनियमित कोचिंग सेंटरों और बढ़ते व्यावसायीकरण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 16.01.2024 को 'कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश' जारी किए हैं, ताकि उचित कानूनी ढांचे के माध्यम से उन पर विचार किया जा सके और उन्हें अपनाया जा सके। सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के स्तर पर दिनांक 16.07.2024 के पत्र के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

दिशा-निर्देशों में कोचिंग सेंटरों को अभिभावकों/छात्रों को कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाने के लिए रैंक या अच्छे अंकों का भ्रामक वादा या गारंटी देने से प्रतिबंधित किया गया है; संस्थाओं/स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं, उनकी संस्थाओं/स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएंगी, ताकि ऐसी संस्थाओं/स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति अप्रभावित रहे और साथ ही डमी स्कूलों से भी बचा जा सके। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या हेतु लिया जाने वाला शुल्क सही और यथोचित होगा; किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी; सरल निकासी नीति और आनुपातिक आधार पर शुल्क वापसी की जाएगी। इसमें कोचिंग सेंटर के पंजीकरण को रद्द करने सहित जुर्माना लगाने का प्रावधान भी किया गया है, यदि प्राधिकारियों को पता चलता है कि उसने दिशानिर्देशों के किसी नियम या शर्त का उल्लंघन किया है, इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करने के लिए कोई अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

कोचिंग सेंटर पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए, जेईई और एनईईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ छात्रों के लिए ऑनलाइन मूल्यांकन मॉड्यूल प्रदान करने हेतु साथी मंच का शुभारंभ किया गया है। यह वेब प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन, यूट्यूब लाइव सत्रों और डीटीएच चैनलों का उपयोग करके सेवाओं की आपूर्ति करता है। शिक्षार्थियों के लिए विभिन्न शीर्षकों और विषयों पर 10,000 घंटे से अधिक की अधिगम सामग्री उपलब्ध है।

*****